

213

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्र०क्र० III/निगरानी/मुरैना/भू०रा०/2018/1263

श्रीमान राजस्व मण्डल

द्वारा आज दि० 15/12/18

प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 23/12/18 नियम।

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

- 1-सुरेन्द्र कौर पत्नी हरदयाल जाति पंजाबी
- 2-कैलाशी शर्मा पुत्र दामोदर प्रसाद शर्मा
- 3-शीलादेवी पत्नी अशोक कुमार जाति ब्रा०
- 4-अनीता देवी पत्नी जयप्रकाश जाति ब्रा०
- 5-पुष्पादेवी पुत्री रामसिंह धाकड
निवासी ग्राम कुटरावली तहसील कैलारस
जिला मुरैना

.....आवेदक

बनाम

- (1) हरिऔम शर्मा पुत्र वासुदेव प्रसाद शर्मा
जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कुटरावली
तहसील कैलारस जिला मुरैना
- (2) म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर कोट्टे कुट्टेना
.....अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 24/01/2018

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय सबलगढ

जिला मुरैना के प्र०क्र० 32/15-16 अपील/निगरानी

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है -


- 1- यह कि ग्राम कुटरावली तह० कैलारस जिला मुरैना में स्थित शासकीय कृषि भूमि सर्वे क्र० 1472 मिन 1 रकबा 1.35 है० शासकीय अभिलेख में काबिज कास्त दर्ज होकर आवेदकगण दिनांक 02/10/84 से पूर्व से काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे हैं।

- 2- यह कि आवेदक द्वारा तहसीलदार कैलारस के समक्ष एक आवेदन पत्र विवादित भूमि पर आवेदकगण का दिनांक 02/10/84 से पूर्व से कब्जा होने पर ग्रामों

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2018/1263

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	